प्रेस नोट
दिनांक 25.12.2024

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा 02 जालसाज अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ कुमार वर्मा के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–269/24, धारा 419,420,467,468,471,406 भादवि से सम्बन्धित 02 जालसाजों– 01.तरूण कुमार दुदेजा पुत्र स्व0 राजेन्द्र कुमार दुदेजा नि0 ए104 फर्स्ट फ्लोर विपुल वर्ड सेक्टर 48 साउथ सिटी हरियाणा, 02. संदीप मिश्रा पुत्र रामधोख मिश्रा नि0 ग्राम राजापुर परसौरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 27.04.2024 को वादी विशाल मिततल पुत्र राम औतार मित्तल नि0 504 आवास विकास कालोनी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि उड़ान पेमेंट सर्विस लिमिटेड कम्पनी के डायरेक्टर विनय कुमार पाण्डेय व तरूण कुमार दुदेजा सहित अन्य 05 लोगों द्वारा ए0टी0एम0 मशीन लगाने व एईपीएस पेमेंट के तहत उड़ान सेवा केन्द्र व उड़ान प्राइम केन्द्र हेतु प्रार्थी से 15 लाख रूपयों की ठगी की गयी है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना व0उ0नि0 ब्रह्मनन्द द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 25.12.2024 को थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर दोषी पाये गए 02 आरोपी अभियुक्तों– 01. तरूण कुमार दुदेजा, 02. संदीप मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. तरूण कुमार दुदेजा पुत्र स्व0 राजेन्द्र कुमार दुदेजा नि0 ए104 फर्स्ट फ्लोर विपुल वर्ड सेक्टर 48 साउथ सिटी हरियाणा।
02. संदीप मिश्रा पुत्र रामधोख मिश्रा नि0 ग्राम राजापुर परसौरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0– 269/24, धारा 419,420,467,468,471,406 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. व0उ0नि0 ब्रह्मनन्द सिंह।
02. का0 मदन।
03. का0 विपिन कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 25.12.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदो पर सीधी भर्ती–2023 के अन्तर्गत रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में चल रहे अभ्यार्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण (डीवी/पीएसटी) स्थल पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का लिया जायजा, सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देश

गोण्डा। आज दिनांक 26.12.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदो पर सीधी भर्ती–2023 के अन्तर्गत रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में चल रहे अभ्यार्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण(डीवी/पीएसटी) स्थल पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया गया। महोदय द्वारा अभ्यार्थियों के प्रवेश द्वार, बायोमैट्रिक स्थल व डीवी/पीएसटी स्थल पर लगाए गए सी0सी0टी0वी0 कैमरों की स्थिति को चेक कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा कार्यदायी संस्था (परीक्षण संचालन/सुरक्षा) के अधिकारियों को डीवी/पीएसटी की जो नियम एवं शर्ते है, उनके अनुरूप ही सभी अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण किए जाने तथा किसी भी प्रकार की कोई अनियमिता न होने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को उनके कर्तब्यों के प्रति सतर्क और जिम्मेदार रहने हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा अभ्यार्थियों से वार्ता कर उनकी सकुशलता जानी गयी तथा उनके साथ किसी भी प्रकार की अनियमिता होने की स्थिति में तुरंत उनके समक्ष शिकायत दर्ज कराने हेतु बताया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती–2023 की लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित 535 अर्ह अभ्यार्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा जनपद गोण्डा में होना है। जिसमें आज दिनांक 26.12.2024 को 50 अभ्यार्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही प्रातः 9:15 से प्रारम्भ होकर कार्य समाप्त होने तक संपादित की जाएगी। डीवी/पीएसटी स्थल की लगातार सी0सी0टी0वी0 कैमरों से निगरानी की जा रही है। भर्ती की सुचिता बनाए रखने के लिए गोपनीय और ओपनली दोनो प्रकार की टीमें अपना काम कर रही है।

मीडिया सेल, गोण्डा।